कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 1275 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 25/11/ 2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **धूनाघाट–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीडागांव (दूबड) मोटर मार्ग लम्बाई 6.50 कि0मी0 के निर्माण हेतु 2.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभागको प्रत्यावर्तन।**
(आनलाईन प्रस्ताव सं0 FP / UKROAD / 19093 / 20165)145468 / 2021

सन्दर्भः– **भारत सरकार का पत्रांक 8 बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 09 / 2023 / एफ0सी0 / दिनॉक 26. 04.2024**

महोदय,

उपरोक्त विषयगत पत्र के क्रम में धूनाघाट–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीडागांव (दूबड) मोटर मार्ग लम्बाई 6.50 कि0मी0 के निर्माण हेतु 2.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 2052 / 12–1 दिनांक 18.11.2024 द्वारा वृत्त स्तर को प्रेषित किया गया है, जिसे मूल तीन प्रतियों मे आपको सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– तीन प्रतियों में।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

आदेश 19-11-24 प्रतिहस्ता

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 2052 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 18-11-2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – धूनाघाट–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दूबड़) मोटर मार्ग लम्बाई 6.50 कि0मी0 के निर्माण हेतु 2.60 है0 वन भूमि का गैर–वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/19093/2016)

सन्दर्भ– भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/235/2016/एफ.सी./1336 दिनांक 06.01.2023 व अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी की पत्र संख्या 1668/ FP/UK/ROAD/19093/2016 दिनांक 12.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में भारत सरकार द्वारा निम्नांकित बिन्दु पर त्रुटियों का अवलोकन कर अभिलेख/दस्तावेज प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके कम में अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है–

क0सं0	आपत्ति	निस्तारण
1.	In the perusal of the KML file, it has been seen that the existing path along the proposed alignment was constructed after year 2018-19 while the case was under consideration of approval. This can be considered as a violation of FCA, 1980.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि खण्ड में स्वीकृत धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दुबड़) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.60 हे0 वन भूमि प्रस्ताव गठित कर दिनांक 25.04.2016 को ऑनलाईन किया गया था। जिसमें समय–समय पर उच्च स्तर पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाता रहा है। वर्तमान में संदर्भित पत्र के माध्यम से के0एम0एल0 फाईल में existing path होना अवगत कराया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, तथा FCA 1980 की शर्तों का विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
2.	Further, the target villages can be easily connected from the end point of the proposed alignment rather being the proposed starting point.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश में प्रस्तावित धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से क्वीड़ागांव (दुबड़) तक स्वीकृत किया गया है जो कि अन्तिम बिन्दु टाकखन्दक–करौली मोटर मार्ग में है। प्रस्तावित समरेखण के अन्तिम बिन्दु से ग्रामों को संयोजित करने पर संयोजित ग्रामों से जिला मुख्यालय लगभग 10–12 कि0मी0 की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सुगमता एवं स्वीकृत शासनादेशानुसार प्रारम्भिक बिन्दु धूनाघाट–भिंगराड़ा–रीठा साहिब मोटर मार्ग के कि0मी0 07.00 से ही उपयुक्त है।
3.	DFO will submit the action taken report on violation as seen in the KML and also submit the comment on the possibility of connecting target villages from the end point of the proposed alignment.	उल्लिखित रिपोर्ट पृथक से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 2052 /12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त पत्र एत्र स्वयं अथवा विशेष पत्रवाहक के माध्यम से पहुंचाने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।